I/217923/2024

ई पत्र संख्या– 217923 /XV-I/24/4(12)22/31871

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनॉक 14 ~~मई~~ जून 2024।

विषय : श्री केदारनाथ, हेमकुण्ड एवं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 483 ukd.AWB(1518)/2024-25 दिनांकः 07.05.2024 के क्रम में श्री केदारनाथ एवं हेमकुण्ड यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः 775/XV-I/23/4(12)22 दिनांकः 01.05.2023 एवं शासनादेश संख्याः 213899 XV-I/24/4(12)22/31871 दिनांकः 28.05.2024 को अवक्रमित करते हुए श्री केदारनाथ, हेमकुण्ड एवं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता हैः–

- मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा की गयी यात्रा मार्ग की जांच के अनुरूप केदारनाथ यात्रा मार्ग पर (19 किमी की दूरी) पशु हानि की आशंका के निवारण हेतु अधिकतम 5000 अश्ववंशीय पशु (जिसमें से 4000 यात्रियों हेतु एवं 1000 समान ढुलान हेतु –आना एवं जाना) एवं श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रामार्ग पर प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 15 कि०मी० की दूरी हेतु 1,050 अश्ववंशीय पशु) एवं मा० एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 O.A No 561/2022 (M.A No 54) Urvashi Shobhna Kachari Vs Union of India & Others के क्रम में यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 8.5 कि०मी० की दूरी हेतु 595 अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित की जाती है।

- यात्रा मार्ग पर उपयोग में लाये जाने वाले समस्त अश्ववंशीय पशुओं का पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण पशुपालन विभाग अथवा जिला प्रशासन द्वारा नामित पशुचिकित्सक द्वारा किया जायेगा। पशु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु के पहचान चिन्हीकरण हेतु पशु के कान में टैग अथवा जैसा भी जिला प्रशासन द्वारा निहित किया जाय। जिला पंचायत द्वारा अश्ववंशीय पशुओं का पंजीकरण कराया जायेगा। जिसका समस्त रिकार्ड समुचित माध्यम से यात्रा ट्रैक पर उपस्थित समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

- स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु का ग्लैण्डर टेस्ट परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। ग्लैण्डर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के उरान्त ही पशु का पंजीकरण वैध माना जायेगा।

- यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशु को साफ एवं गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जायेगा व पशु स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर चारे व इलैक्टोलाइट पिलाने की व्यवस्था रखी जायेगी। जिससे अधिक चढाई वाले स्थानों पर पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचाया जा सकेगा।

- अश्ववंशीय पशुओं के ऊपर प्रयोग में लाये जाने वाली काठी हल्की एवं काठी के नीचे एक मोटे कम्बल का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, जिससे पशु के शरीर पर काठी से घाव न बन पाये। यात्रा प्रारम्भ से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण के समय काठी उतारकर पशु स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया जाय कि, पशु के शरीर पर कोई घाव न हो, वह लंगडाकर न चल रहा हो व अस्वस्थ्य प्रतीत न हो रहा हो।

- यात्रा मार्ग पर प्रत्येक पशुस्वामी द्वारा अधिकतम 2 अश्ववंशीय पशु को संचालित किया जायेगा यात्रा के दौरान एक अश्ववंशीय पशु को प्रतिदिन एक ही टोकन निर्गत किया जायेगा जो कि पूर्ण एक चक्कर (आना एवं जाना) हेतु मान्य होगा।

- यात्रा के दौरान अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पशुस्वामी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त यदि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दोषी पाए जाते है तो उनका लाइसेंस, लाइसेंस निर्गत करने वाली संस्था के माध्यम से रद्द करने की संस्तुति की जायेगी। ऐसी दशा में पशुस्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाय।

- यदि किसी लाइसेंसधारी पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसका लाइसेंस मुकदमे की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मुकदमे के निपटारे पर यदि लाइसेंसधारी बरी हो जाता है, तो उसके अश्ववंशीय पशुओं का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के उपरान्त यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाया जा सकेगा।

- इस नीति के तहत ब्लैकलिस्ट किए गए सभी व्यक्तियों की पूरी सूची टोकन देने वाली ऐजन्सी के माध्यम से पुलिस विभाग, सम्बिन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, Mule Task Force, जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

- टोकन प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी और Mule Task Force व अन्य सभी सम्बन्धित यह सुनिश्चित करेगे कि इस नीति के अंतर्गत ब्लैकलिस्ट में डाला गया कोई भी व्यक्ति यात्रा मार्ग पर घोड़े न चला रहा हो।

- यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं को कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्यूनतम एक सप्ताह की अनुकूलन अवधि सुनिश्चित की जाए जिससे की पशु क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल सके।

- यात्रा मार्गों पर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों एवं ठण्डे वातावरण में वर्षा, बर्फ, ओलावृष्टि के कारण अश्ववंशीय पशुओं में ज्वर, खांसी, दमा, न्यूमोनिया इत्यादि के

कारण अकाल मृत्यु से बचाव हेतु आवष्यक है कि, पशुओं हेतु कुछ–कुछ दूरी पर अस्थायी शेडशैल्टर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। पशुओं को पानी पिलाने के बाद, अनिवार्य रूप से कम से कम 20 मिनट आराम दिया जायेगा। बारिश ओलावृष्टि, बर्फ गिरने पर अश्ववंशीय पशुओं का संचालन प्रतिबंधित किया जा सकेगा। यात्रा मार्ग पर वर्षा व ओलावृष्टि होने पर पशुस्वामी द्वारा अश्ववंशीय पशुओं को शेड में रोककर खडा किया जायेगा। पशुओं पर किसी भी प्रकार की बाहरी सजावट साज–सज्जा किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

- निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित होगी :–
  - पशु पर निर्धारित क्षमता से अधिक वजन लादना।
  - घायल अथवा बीमार प्रतीत हो रहे पशु से कार्य कराना।
  - पशु के मुहॅ के अन्दर नुकीली बीट डालकर चलाना।
  - पशु को यात्रा मार्ग पर तेज गति से दौडाना जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा हो।
  - पशु को मारना, पीटना व दागना।
  - बिना टोकन व पंजीकरण के पशु का यात्रा मार्ग पर संचालन।
  - मृत पशु के शरीर को लावारिस छोडना।
  - पशु के ईयर टैंग व माइक्रोचिप के साथ छेडखानी करना।
- अश्ववंशीय पशुओं के मल–मूत्र के कारण उत्पन्न हो रही समस्या के निदान हेतु समुचित सफाई व्यवस्था की जांये, जिससे यात्रा मार्ग पर हो रही गन्दगी की समस्या का निवारण किया जा सके।
- जिला एस०पी०सी०ए० अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों हेतु पशुओं के कल्याण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों, मा० उच्च न्यायालयों, मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये मार्गदर्शी आदेशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। भारतीय सेना के अन्तर्गत रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस तथा अर्धसैनिक बलों (यथा आई०टी०बी०पी०) के पशुचिकित्साविदों द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त अश्ववंशीय पशुओं की चिकित्सा/प्रबन्धन हेतु कुछ विशेष चिकित्सा प्रक्रियाऐं/रीतियॉ अपनाई जाती हैं। पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों एवं सहयोगी कार्मिकों हेतु इस विशेष प्रशिक्षण हेतु रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस अथवा आई०टी०बी०पी० अथवा अश्व कल्याण हेतु विशेषज्ञ पशु कल्याण संस्था–ब्रूक्स इन्डिया में सेवारत भारतीय सेना के सेवानिवृत पशुचिकित्साविदों के दिशा–निर्देशन में, पी०एफ०ए० उत्तराखण्ड के अश्व अभ्यारण्य में अथवा अन्य स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेगे।
- यात्रा में प्रयोग में लाये जा रहे अश्ववंशीय पशुओं हेतु दाने एवं चारे की व्यवस्था यात्रा

I/217923/2024

मार्ग पर निर्धारित स्थानों पर किया जाना उचित होगा। जिन संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत विक्रेताओं द्वारा यात्रा मार्ग अथवा आस–पास पशुओं हेतु चारा एवं दाना का व्यापार अथवा निःशुल्क वितरण किया जा रहा हो, पशुपालन विभाग को अधिकार होगा कि, वह विक्रय योग्य सामग्री का औचक निरीक्षण/जांच कर सकेंगे और यदि आवश्यकता हो तो नियमानुसार सैम्पलिंग भी कर सकेंगे।

- यात्रा मार्ग पर संचालित पशुचिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु आये समस्त अश्ववंशीय पशुओं हेतु चिकित्सा रजिस्टर का अभिलेखीकरण किया जायेगा व चिकित्सा के दौरान आये पशु यदि कार्य करने योग्य नहीं है तो पशुचिकित्सक द्वारा टोकन प्रदान करने वाली संस्था अथवा कन्ट्रोल रुम को उनके ईयर टेंग नं० से अवगत कराया जायेगा। उन अश्ववंशीय पशुओं को स्वस्थ्य हो जाने तक यात्रा में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

- कतिपय पशु स्वामियों द्वारा यात्रा मार्गो में अन्य किसी कार्यदायी संस्था द्वारा आवंटित चिपस्ट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध रूप से उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस अनियमितता की रोकथाम हेतु बेहतर प्रयास किया जायेगा।

- यात्रा मार्गो के आधार शिविरों एवं मध्य मार्ग पर प्रत्येक शेड शैल्टर के निकट स्थायी अथवा अस्थायी पशुचिकित्सालय की स्थापना की जायेगी। पशुचिकित्सालय पर पशुचिकित्सक (संविदा पर) तथा पैरावेट की नियुक्ति की जायेगी।

- यात्रा मार्ग पर यात्रा से पहले प्रत्येक पशु का भली प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होने पर अश्व पशुओं को यात्रा मार्गो पर परिवहन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।

- यात्रा के दौरान घायल/बीमार हुये अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर पुनः चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एक बार अस्वस्थ घोषित कर दिये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर कार्य कर रहा है, तो पशुस्वामी के लिए अर्थदण्ड एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

- यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं की मृत्यु की दशा में अतिशीघ्रता से मृत अश्ववंशीय पशुओं का शवविच्छेदन रिपोर्ट पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चिन्हीत भूमि पर शवनिस्तारण किया जाना होगा। मृत अश्ववंशीय पशु के देह को Body bag से ढक कर रखा जायेगा।

- यदि प्रारम्भिक नियमित जांच में कोई मादा अश्ववंशीय पशु गर्भवती पायी जाती है तो उसे यात्रा मार्ग पर संचालित न किया जाय।

- यात्रा मार्गों पर टोल फ्री नम्बर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस क्रम में टोल फ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोडने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिससे यात्रियों एवं अश्ववंशीय पशु स्वामियों की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मानक संचालन

I/217923/2024

प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 13-06-2024 14:15:13

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

ई संख्याः 217923 /XV-I/24/4(12)22/31871तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, सूचना महानिदेशालय।
5. अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
6. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mahaveer Singh Parmaar
Date: 14-06-2024 10:36:51
(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव।